न्यायालय, सहायक कलक्टर एंव पदेन उपखण्ड अधिकारी
मुकाम श्रीकरणपुर, जिला श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी : श्री श्योराम (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्याः 236 / 2024(जी.सी.एम.एस. 2024 / 374)

वादी	बनाम	प्रतिवादीगण
1. लाल सिंह पुत्र डूंगर सिंह जाति जटसिख निवासी 11 एच तहसील श्रीकरणपुर।		1. सिमरनजीत कौर पत्नी गुरमीत सिह जाति जटसिख निवासी 11 एच तहसील श्रीकरणपुर। 2. राजस्थान राज्य जरिए तहसील राजस्व, श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर।

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, 91, 209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

तारीख रजू 27.11.2024

उपस्थितः 1. श्री इन्द्राज सेजू अधिवक्ता वादी

2. श्री प्रेम कुमार अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 1

--निर्णय-- दिनांकः 01.01.2025

1. संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि वादी के द्वारा वादपत्र पेश कर निवेदन किया कि राजस्व ग्राम 11 एच, पटवार मण्डल 13 एच की जमाबंदी सम्वत 2076 ता 2079 के खाता संख्या 17 व 18 में वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से कृषि भूमि काश्तकार की हैसियत से दर्ज है। वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1, एक ही गांव के आपस में जान-पहचान वाले सदस्य है। वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ने अपने नाम से दर्ज कृषि भूमि का आपसी सहुलियत व भूमि की सुविधाओ के अनुसार सहमति बंटवारा कर रखा है। बंटवारानामा अनुसार वादी के कब्जा काश्त में चक 11 एच के खाता संख्या 18 में सिमरनजीत कौर पत्नी गुरमीत सिह के नाम दर्ज 561/4610 हिस्सा यानि 1.683है0 में से 1.455है0 भूमि पर है। इसी प्रकार प्रतिवादी संख्या 1 का कब्जा काश्त चक 11 एच के खाता संख्या 17 में वादी लाल सिंह पुत्र डूंगर सिंह के नाम से दर्ज कृषि भूमि 2753/13.639है0 भूमि में से 1.455है0 भूमि पर है। वादी एवं प्रतिवादीगण का कब्जा काश्त उपरोक्तानुसार अवश्य है, लेकिन वादी एवं प्रतिवादी के नाम राजस्व अभिलेख में कब्जा काश्त के अनुसार रकबा का अंकन नहीं है। इस कारण वादी को हर समय भारी कठिनाईयों का सामना करना पड़ रहा है। वादी अपने हिस्सा की कृषि भूमि को हिस्सा, ठेका पर काश्त करवाने, पानी की बारी बंधवाने, कृषि भूमि पर बैंक ऋण आदि प्राप्त करने, कृषि भूमि पर प्राप्त होने वाली राज्य सरकार/केन्द्र सरकार से अनुदान राशि, मुआवजा राशि इत्यादि प्राप्त करने अन्य विभिन्न समस्याओं से झूजना पड़ता है। इस कारण वादी अपने कब्जा व काश्त के अनुसार हिस्सा भूमि का खातेदार घोषित करवाकर, कब्जा काश्त के अनुसार भूमि का अंकन राजस्व अभिलेख में करवाना चाहता है। आज से 15 रोज पूर्व वादी, प्रतिवादी संख्या 1 से पुनः आग्रह किया और भूमि का अंकन राजस्व अभिलेख में करवाने हेतु कहा तो प्रतिवादी संख्या 1 के द्वारा कोई संतोषजनक जवाब नही रहा। यदि प्रतिवादी संख्या 1 के द्वारा वादी के कब्जा काश्त की भूमि का बेचान कर दिया जाता है तो वादी व उसके परिवार को अपूर्णीय क्षति होगी। इसलिए वादी अपने कब्जा काश्त की भूमि की घोषणा करवाकर भूमि का कब्जा काश्त के अनुसार राजस्व अभिलेख में कब्जा की घोषण करवाना चाहता है। वादी व उसके परिवार का जीवन निर्वाह व उज्जवल भविष्य कृषि भूमि पर निर्भर है। इस कारण प्रतिवादी संख्य 1 को रोकने के लिये माननीय न्यायालय के समक्ष वाद पत्र प्रस्तुत करने के अलावा अन्य कोई विकल्प वादी के पास शेष नही रह गया। यही वाद कारण है। वादपत्र न्यायालय के क्षेत्राधिकार, श्रवणाधिकार व पूर्ण कोर्ट फीस पर है। अतः वादपत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि चक 11 एच के खाता संख्या 18 में सिमरनजीत कौर पत्नी गुरमीत सिह के नाम दर्ज 561/4610 हिस्सा यानि 1.683है0 में से 1.455है0 भूमि का वादी को खातेदार घोषित किया व चक 11 एच के खाता संख्या 17 में वादी के नाम से दर्ज कृषि भूमि 2753/13.639है0 भूमि में से 1.455है0 भूमि का प्रतिवादी संख्या 1 को खातेदार घोषित किया जावे।

2. वाद पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण को जरिए सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 की ओर से अधिवक्ता श्री प्रेम कुमार उपस्थित आए। प्रतिवादी संख्या 1 की ओर से जवाबदावा मय काउन्टर क्लेम पेश किया। नकल वादी अधिवक्ता को दिलाई गई। जिसके अनुसार वादी का उक्त वादपत्र स्वीकार किया जाता है। तो मुझ प्रतिवादी को कोई एतराज नहीं है। सामिल मिसल किया गया। वादी लाल सिंह व प्रतिवादी सिमरनजीत कौर के द्वारा न्यायालय में स्वंय उपस्थित आकर राजीनामा पेश किया। राजीनामा दोनों पक्षों को पढकर सुनाया गया। दोनों पक्षों के द्वारा राजीनामा सुन व समझकर सही होना

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्री करणपुर

स्वीकार किया। राजीनामा तस्दीक किया जाकर शामिल मिसल किया गया। हस्तगत प्रकरण में दोनों पक्षों के द्वारा राजीनामा पेश किया गया है। इसलिए प्रकरण में वाद बिन्दु कायम नहीं किए गए। अधिवक्तागण के द्वारा निवेदन किया कि वादीगण का वादपत्र व प्रतिवादीगण का काउन्टर क्लेम दोनों पक्षों के द्वारा प्रस्तुत समझौतानामा अनुसार डिक्री किये जाने के आदेश दिये जावे।

3. बहस उभयपक्ष अधिवक्तागण सुनी गई, बहस के दौरान अधिवक्तागण ने वादी का वादपत्र व प्रतिवादी का काउन्टर क्लेम उभयपक्ष द्वारा प्रस्तुत समझौतानामा अनुसार डिक्री किये जाने की इस्तदुआ की है। वादीगण के वादपत्र मय शपथपत्र, प्रतिवादी संख्या 1 के जवाबदावा मय काउन्टर क्लेम एवं समझौतानामा मय दस्तावेजात का गहनता से अध्ययन किया गया तथा बहस पर गौर कर मनन किया गया। लिहाजा वादी का वाद पत्र व प्रतिवादी का काउन्टर क्लेम दोनों पक्षों द्वारा प्रस्तुत समझौतानामा मुताबिक डिक्री किया जाना हम उचित समझते है।

-:आदेश:-

4. अतः अंतिम डिक्री बहक वादी, प्रतिवादी इस अमर की जारी की जाती है कि वादी का वादपत्र अन्तर्गत धारा 88, 91, 209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम-1955 व प्रतिवादी संख्या 1 का काउन्टर क्लेम उभयपक्ष द्वारा प्रस्तुत समझौतानामा अनुसार भली-भांति साबित होने पर स्वीकार किया जाकर राजस्व ग्राम 11 एच, पटवार हल्का 13 एच, भू.अ.नि. क्षेत्र श्रीकरणपुर, तहसील श्रीकरणपुर की जमाबंदी सम्वत 2076 ता 2079 के खाता संख्या 18/14 में सिमरनजीत कौर पत्नी गुरमीत सिंह के नाम 1.683 हैक्टेयर भूमि में से वादी लाल सिंह पुत्र डुंगर सिंह को 1.455 हैक्टेयर भूमि का व राजस्व ग्राम 11 एच, पटवार हल्का 13 एच, भू.अ.नि. क्षेत्र श्रीकरणपुर, तहसील श्रीकरणपुर की जमाबंदी सम्वत 2076 ता 2079 के खाता संख्या 17/43 में वादी लाल सिंह पुत्र डुंगर सिंह के नाम दर्ज 2.753 हैक्टेयर भूमि में से प्रतिवादी सिमरनजीत कौर पत्नी गुरमीत सिंह को 1.455 हैक्टेयर भूमि का खातेदार घोषित किया जाकर उपर्युक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अंकन किये जाने के आदेश दिए जाते है। उक्त खातों के शेष अंकन व रहन बदस्तुर रहेंगे। पर्चा डिक्री इस आशय का जारी हो। पर्चा डिक्री की एक प्रति तहसीलदार श्रीकरणपुर को पालनार्थ प्रेषित हो। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम होकर बाद तकमील जाब्ता पत्रावली दाखिल दफ्तर/ लेख भण्डार जमा हो।

{श्योराम (आर.ए.एस)}
सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी
श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर

उपखण्ड अधिकारी
श्री करणपुर

निर्णय आज दिनांक 01.01.2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे ईजलास सुनाया गया।

{श्योराम (आर.ए.एस)}
सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी
श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्री करणपुर

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्री करणपुर (श्री गंगानगर)

अंतिम डिक्री बमुकदमे इब्तदाई

(आर्डर 20, रूल 6 7, जाब्ता दीवानी)

(Civil Procedure Code, Appendix "D 1")

अज अदालत सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) मुकाम श्रीकरणपुर

ब इजलास श्री श्योराम (आर.ए.एस.)

लाल सिंह बनाम सिमरनजीत कौर आदि

धारा अन्तर्गत 88, 91, 209 आर.टी.ए.

मुकदमा नम्बर 236/2024

निर्णय दिनांक :- 01.01.2025

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्रीकरणपुर व हाजरी **वादी अधिवक्ता श्री इन्द्राज सेजू प्रतिवादी अधिवक्ता श्री प्रेम कुमार उपस्थित होने पर** आदेश दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि वादीगण का वादपत्र अन्तर्गत धारा 88, 91, 209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम-1955 व प्रतिवादी संख्या 1 का काउन्टर क्लेम उभयपक्ष द्वारा प्रस्तुत समझौतानामा अनुसार भली-भांति साबित होने पर स्वीकार किया जाकर राजस्व ग्राम 11 एच, पटवार हल्का 13 एच, भू.अ.नि. क्षेत्र श्रीकरणपुर, तहसील श्रीकरणपुर की जमाबंदी सम्वत 2076 ता 2079 के खाता संख्या 18/14 में सिमरनजीत कौर पत्नी गुरमीत सिंह के नाम 1.683 हैक्टेयर भूमि में से वादी लाल सिंह पुत्र डुंगर सिंह को 1.455 हैक्टेयर भूमि का व राजस्व ग्राम 11 एच, पटवार हल्का 13 एच, भू.अ.नि. क्षेत्र श्रीकरणपुर, तहसील श्रीकरणपुर की जमावंदी सम्वत 2076 ता 2079 के खाता संख्या 17/43 में वादी लाल सिंह पुत्र डुंगर सिंह के नाम दर्ज 2.753 हैक्टेयर भूमि में से प्रतिवादी सिमरनजीत कौर पत्नी गुरमीत सिंह को 1.455 हैक्टेयर भूमि का खातेदार घोषित किया जाकर उपर्युक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अंकन किये जाने के आदेश दिए जाते है। उक्त खातों के शेष अंकन व रहन बदस्तुर रहेगे।

आज दिनांक 01.01.2025 को यह पर्चा डिक्री मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

{श्योराम (आर.ए.एस.)}
सहायक कलक्टर एंव पदेन उपखण्ड अधिकारी
श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्री करणपुर

मुददई	रुपया	पैसा	मुदायली	रुपया	पैसा
स्टाम्प अर्जीदावा	02	00	स्टाम्प वकालतनामा	02	00
स्टाम्प वकालतनामा	02	00	स्टाम्प अर्जी	02	00
स्टाम्प ड्यूटी	250	00	मेहनताना वकील पर	00	00
योग	**254**	**00**	**योग**	**04**	**00**

{श्योराम (आर.ए.एस.)}
सहायक कलक्टर एंव पदेन उपखण्ड अधिकारी
श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्री करणपुर

क्रमांकः रीडर/2024/5

दिनांकः 01.01.2025

प्रतिलिपिः तहसीलदार श्रीकरणपुर को पालनार्थ भेजकर लेख है कि उक्त डिक्री की नियमानुसार पालना कर, पालना रिपोर्ट अद्योहस्ताक्षरकर्ता न्यायालय में भिजवाना सुनिश्चित करे।

{श्योराम (आर.ए.एस.)}
सहायक कलक्टर एंव पदेन उपखण्ड अधिकारी
श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्री करणपुर

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्री करणपुर (श्री गंगानगर)